

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र: जीविवि/परीक्षा-2/गोप0/2024/1634

दिनांक : 22.10.2024

// अधिसूचना //

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 मई 2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के समस्त असंस्थागत एवं अनुदानित महाविद्यालयों को अधिसूचित किया जाता है कि सत्र 2024-2025 की समस्त परीक्षाओं में महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों की निर्धारित अधिकृत सीट संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत छात्रों को असंस्थागत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत किया जावे।



कुलसचिव

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद् की ओर इस आशय के साथ कि वे श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी आई.टी. सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय को असंस्थागत एवं अनुदानित महाविद्यालयों की सूची 02 दिवस में उपलब्ध करावें, जिसमें कोर्स वाइज/स्पेजलाइजेशन वाइज आवंटित सीट संख्या का उल्लेख हो, जिससे प्रवेशित छात्रों की निर्धारित अधिकृत सीट संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत का चेक लगा सकें।
4. सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी आई.टी. सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को इस निर्देश के साथ कि सत्र 2024-2025 की सभी परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाते समय इस संबंध में आवश्यक चैक लगाया जाना सुनिश्चित करें कि जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के समस्त असंस्थागत एवं अनुदानित महाविद्यालय के द्वारा प्रवेशित छात्रों की निर्धारित अधिकृत सीट संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक असंस्थागत परीक्षार्थी पंजीकृत न किये जा सकें।



प्रभारी परीक्षा नियंत्रक